संख्या-194/2019/3721/26-3-2019-4(358)/07 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28अगस्त 2019

विषय: **दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मास्टर डाटा के सत्यापन के लिये विश्वविद्यालय/अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी हेतु निर्धारित समयावधि को दिनांक 03 सितम्बर 2019 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1913-14/स0क0/शिक्षा-अ/3/181 /2019-20, दिनांक-22.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में मास्टर डाटा के सत्यापन के लिये विश्वविद्यालय/अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी हेतु निर्धारित समयावधि को दिनांक 03 सितम्बर 2019 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संदर्भ में शासनादेश संख्या-138/ 2019/2124/26-3-2019-4 (358)/07 टी0सी0-।।।, दिनांक-04.06.2019 में निम्नवत् संशोधन/समय-वृद्धि की जाती है:-

| क्र0सं0 | प्रक्रियात्मक कार्यवाही | पूर्व की समयावधि | प्रस्तावित समयावधि |
|---|---|---|---|
| | बिन्दु-2 प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना एवं परीक्षा परिणाम लागिन में यथा स्थान अपलोड करना। | 21 जुलाई 2019 से 23 अगस्त 2019 तक | 03 सितम्बर 2019 तक |

3- शासनादेश संख्या-138/2019/2124/26-3-2019-4(358)/07 टी0 सी0-।।।, दिनांक-04.06.2019 द्वारा जारी समय-सारिणी के बिन्दु संख्या-3 में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन करने हेतु 24 अगस्त, 2019 से 16 सितम्बर, 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 24 अगस्त, 2019 से ही विश्वविद्यालय/अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के साथ-साथ समानान्तर रूप से मास्टर डाटा लाक करने की कार्यवाही की जायेगी।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-194/2019/3721 (1)/26-3-2019 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।